

Certificate of Non-Availability of land for Compensatory Afforestation in the District Kullu.

No. 3746 -----/DRA

Dated: 12/X 2015.

I, Rakesh Kanwar, Collector of District Kullu do hereby certify that:

- (i) Relevant records pertaining to non-forest land, revenue lands, zudpi jungle, chote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jhari-land, civil-doyam lands and all such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the forest Department) on which the provisions of forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, available in each Sub-Division of this District have been examined; and
- (ii) I have also conducted such further enquiry as is required to satisfy myself for issue of this certificate.

On the basis of examination of all relevant records and such further enquiry, as was required for the issue of this certificate, I do hereby certify that non-forest land revenue lands, zudpi jungle, chote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jhari-land, civil-doyam lands and all such categories of Forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, which as per the extant guidelines of the Central Government may be utilized for creation of compensatory afforestation in lieu of forest land diverted for non-forest purpose, is not available in the entire Kullu District. This Certificate being issued in favour of District Panchayat Officer Kullu for the Construction of Challah to Salary Link Road in Gram Panchayat Dunkharigahar, Tehsil & District Kullu, H.P.

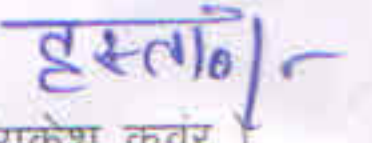
Issued under my hand and seal on this 12th day of Oct., 2015.

(Rakesh Kanwar)
District Collector,
Kullu.
COLLECTOR Kullu

**कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू ।
अन्नोपलब्धता प्रमाण पत्र**

उप मण्डल अधिकारी (ना0), कुल्लू जिला कुल्लू , वन मण्डल अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू , वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र भूटटी, तहसीलदार कुल्लू जिला कुल्लू एवं जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू द्वारा दिनांक 01-09-2015 को किए गए संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करके चलाह से सलातरी सडक के निर्माण हेतु वन भूमि रक्वा तदादी 0.1680 हैक्ट0 फाटी डुंखरीगाहर, कोठी डुगीलग, तहसील व जिला कुल्लू को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नाम हस्तान्तरण वारे अन्नोपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित सरकारी भूमि न्यूनतम एवं अधिक उपयुक्त है तथा उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित सरकारी भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपलब्ध न है।

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि रक्वा तदादी 0.1680 हैक्ट0 फाटी डुंखरीगाहर, कोठी डुगीलग, तहसील व जिला कुल्लू को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नाम अर्जन हेतु अन्नोपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


(राकेश कौर)
उपायुक्त कुल्लू ।

पृष्ठांकन संख्या—7309-10 / डी0आर0ए0 दिनांक:— 18-10-2015

प्रतिलिपि:—

1. वन मण्डल अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू को प्रेषित कर अनुरोध है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी एक प्रतिलिपि आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करें।

✓ 2. सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर विकास खण्ड कुल्लू को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(राकेश कौर)
उपायुक्त कुल्लू ।
Commissioner
Kullu (H.P.)